

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2017/अलेसे-III/ 2570


दिनांक:- 23-01-2019

कार्यालय आदेश

कनिष्ठ लेखाकार सुश्री नंदिता बलाई को विभागीय आदेश सं. 252/2018-19 दिनांक 12.12.2018 के द्वारा संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए ह.च.मा. (रीपा), उदयपुर हेतु मनोनीत किया गया था, परन्तु जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पत्र क्रमांक/स्था./2018/31910 दिनांक 14.12.2018 के अनुसार सुश्री नंदिता बलाई को उक्त प्रशिक्षण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया।

जिसके कारण विभागीय आदेश सं. 275/2018-19 दिनांक 21.12.2018 के द्वारा कार्मिक को उक्त प्रशिक्षण से मुक्त रखने का आदेश प्रसारित किया गया था, परन्तु संयुक्त निदेशक लेखा ह.च.मा. (रीपा), उदयपुर के पत्र क्रमांक 5353 दिनांक 28.12.2018 के अनुसार सुश्री नंदिता बलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हो गई है।

अतः प्रशिक्षण से मुक्त रखने के विभागीय आदेश संख्या 275/2018-19 दिनांक 21.12.2018 पर क्रम सं. 19 पर अंकित सुश्री नंदिता बलाई के नाम को विलोपित किया जाता है।



(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2017/अलेसे-III/ 2570

दिनांक:- 23-01-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302017
2. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), रानी रोड़, उदयपुर-313001
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।
4. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, अलवर।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्युटर शाखा (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)।
6. संबंधित क०लेखाकार।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक कार्मिक-III